कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उार प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री ए0 एल0 डी0 आटोमोटिव प्रा0 लि0, सी-27 / 170-14-15बी, जगतगंज, वाराणसी।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**381 / 08, 16.10.2008**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री ए0 एल0 डी0 आटोमोटिव प्रा0 लि0, सी-27 / 170-14-15बी, जगतगंज, वाराणसी द्वारा दिनांक 03.10.2008 को उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्न प्रकार से प्रश्न पूछा गया है :-

'' What is rate of tax on transfer of right to use vehicles ''

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 14.08.2013 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रार्थना-पत्र में व्हैकिल के लीज रेन्ट पर कर की दर निर्णीत करने का अनुरोध किया गया है।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, वाराणसी जोन, वाराणसी द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि व्यापारी द्वारा व्हैकिल के लीज रेन्ट पर कर की दर 4% पुष्टि करने का अनुरोध किया गया है। उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-2 (ए0 सी0) में बिक्री को परिभाषित किया गया है जिसका सबक्लाज (4) a transfer of the right to use any goods for any purpose whether or not for a specified period for cash, defered payment or other valuable consideration. में शामिल किया गया है। इसी प्रकार उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-2 (ए0 डी0) में सेल प्राईज को परिभाषित किया गया है, जिसमें किसी भी वस्तु के transfer of right to use के सन्दर्भ में प्राप्त राशि सेल प्राईज माना गया है। व्हैकिल उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत शिड्युल (1) से (4) में शामिल नहीं है। इस प्रकार यह उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शिड्युल (5) की वस्तु है जिस पर कर की दर 12.5% है। व्यापारी का कथन '' transfer of right to use '' के अन्तर्गत कर की दर 4% है, उचित नहीं है। इस प्रकार व्यापारी का अनुरोध स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमाक-03 पर निम्न प्रविष्टि है :-

All intangible goods like copyright, patent, rep. license etc; Transfer of right to use of goods

Transfer of right to use इसमें आच्छादित है। अत: Transfer of right to use, पर 4% की दर से करदेयता होनी चाहिए।

....2

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों तथा विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-03 पर, '' All intangible goods like copyright, patent, rep. license etc; Transfer of right to use of goods, " की प्रविष्टि दी गयी है। इस प्रविष्टि में Transfer of right to use आच्छादित है। अत: Transfer of right to use, पर 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 02 सितम्बर, 2013

ह0 / 02.09.2013

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उार प्रदेश, लखनऊ।